नियम 38 : किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्यय का दावा

कोई बैंककारी कंपनी या कोई वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो जमा स्वीकार करने या उधार देने या अग्रिम देने के रूप में सेवाओं की प्रदाय में लगी हुई है, जिसने धारा 17 की उपधारा (2) के उपबंधों की उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात विकल्प के अनुसार अनुपालना नहीं करने का चुनाव किया है, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, अर्थात् :

(क) **(i)** उक्त कंपनी या संस्था इनपुटों और गैर कारबार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी; और

(ii) [1][.....] धारा 17 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्रदाययों के कारण किए गए प्रत्यय के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी।

(ख) उक्त कंपनी या संस्था धारा 17 की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट तथा खंड (क) के अधीन नहीं आने वाले इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग करेगी;

(ग) इनपुट कर की शेष रकम का पचास प्रतिशत कंपनी या संस्था को अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय होगा [2][और इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष राशि **प्ररूप जीएसटीआर–3(ख)** में उत्क्रमित कर दी जाएगी;]

(घ) [3][.....]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द, अक्षर और अंक ''**प्ररूप जीएसटीआर–2** में'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

2 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द, अक्षर और अंक ''और **प्ररूप जीएसटीआर–2** में दिया जाएगा'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

3 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा खंड (घ) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"**(घ)** खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट रकम को धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबंधों के अध्यधीन उक्त कंपनी या संस्था के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा कर दिया जाएगा।"